न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/01/2021	2021/72	01.09.2021	26.06.2024

1. प्यारेलाल पुत्र श्री सुगड़ूराम, जाति चमार, निवासी ग्राम बहरीपुर, तहसील रामगढ़ जिला, अलवर (मृतक)

1/1. नेतराम पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल
1/2 चेतराम पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल
1/3. लेखराज पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल, जाति चमार, निवासीयान ग्राम बहरीपुर, तहसील रामगढ़, जिला, अलवर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़, जिला अलवर राजस्थान।
2. बन्नी बेवा श्री मुन्शी (मृतक)
3. हरदयाल पुत्र श्री मुन्शी (मृतक)

3/1. ननगी पत्नी स्व0 श्री हरदयाल
3/2. परमाल पुत्र स्व0 श्री हरदयाल, निवासीयान ग्राम बहरीपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
3/3. मायावती पुत्री स्व0 श्री हरदयाल पत्नी सुभाष, निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़, जिला अलवर।
3/4. अमरसिंह पुत्र स्व0 श्री हरदयाल
3/5. तारादेवी पुत्री स्व0 श्री हरदयाल
3/6. सोनू पुत्र स्व0 श्री हरदयाल, ग्राम बहरीपुर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
3/7 कवीता पत्नी स्व0 श्री नेतराम पुत्रवधु स्व0 हरदयाल
3/8. अनीता पुत्री स्व0 श्री नेतराम, पौत्री स्व0 श्री हरदयाल
3/9. रिंकू पुत्र स्व0 श्री नेतराम पौत्र स्व0 श्री हरदयाल
3/10. गोलू पुत्र स्व0 श्री नेतराम पौत्र स्व0 श्री हरदयाल, नाबालिगान, जरिये सरपरस्त माता कविता पत्नी स्व0 श्री नेतराम, निवासीयान ग्राम बहरीपुर, तह0 रामगढ़ जिला अलवर

4. पप्पू पुत्र श्री मुन्शी
5. सुमरी पुत्री श्री मुन्शी
6. बादामी पुत्री श्री मुन्शी
7. मैना पुत्री श्री मुन्शी, जातियान चमार, निवासीयान ग्राम बहरीपुर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा श्रीमान तहसीलदार मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़, जिला अलवर के आदेश दिनांक 18.03.1989 वाके ग्राम बहरीपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का पटटा जारी करने के आदेश दिये गये व जिसके तहत पट्टा संख्या 2659 दिनांक 18.03.1989 जारी हुआ। बमुराद मंसुखी उक्त आदेश पटटा एवं स्वीकार किए जाने अपील अपीलांट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उपस्थितः—
01. श्री कमल सिंह पोसवाल
02. श्री जगदीश चन्द सतीजा

——वकील अपीलान्ट
——रैस्पोडैन्टस

——: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ का आदेश संख्या 2659 दिनांक 18.03.1989 तांके ग्राम बहरीपुर तहसील रामगढ, जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बहरीपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के आदेश जेरे अपील श्रीमान तहसीलदार मैनेजिंग ऑफिसर अलवर के आदेश संख्या 2659 दिनांक 18.03.1989 मिन अपीलांट को सुने बिना इकतरफा में विधि व नियम विरूद्ध तरीक पर व खिलाफ मौका जारी किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 11.03.2011 को हल्का पटवारी से हुई, जिस पर दिनांक 14.03.2011 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 15.03.2011 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वकील साहब से कानूनी सलाह मशवरा करके व अपील के खर्चे व वकील साहब की फीस के लिए रूपये का इन्तजाम करके अपील हाजा जानकारी की दिनांक 11.03.2011 से मामुलन अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील हाजा माननीय अदालत के श्रवण योग्य है। आराजी हाल खसरा नंबर 450 रकबा 0.25 है0 ग्राम बहरीपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित है, जो कि साबिक खसरा नंबर 259 मिन रकबा 1 बीघा से बना है, जो कि अपील हाजा में विवादित है, क्योंकि पट्टा में दर्ज अन्य आराजीयात से अपीलांट का कोई सरोकार नही है और विवादित आराजी पर ही अपीलांट का कब्जा है। अतः विवादित आराजी की सीमा तक ही यह अपील प्रसतुत की जा रही है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। पूर्व में विवादित आराजी के सुखदेव पुत्र कालू, शादी पुत्र सुखदेव, सुगडू, रामसुख पुत्रान पतलू हिस्सेदार थे, जिसकी ताईद जमाबंदी संवत 2043 से होती है। अतः विवादित आराजी में रेस्पाडेंट संख्या 2 लगा0 6 के पति व पिता मुन्शी का कोई हिस्सा नही था न उसका कभी कब्जा रहा। किन्तु रेस्पाडेंट के पिता मुन्शी ने अन्य आराजीयात के साथ विवादित्त आराजी का भी हल्का पटवारी से गलत रिपोर्ट करवाकर पटटा प्राप्त किया है। जिसका अमल कागजात माल में जरिये इंतकाल नंबर 194 के हुआ हुआ है। काबिल गौर अदालत श्रीमान है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 के पति व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगा0 6 के पिता मुंशी का पट्टे मे दर्जशुदा आराजी में किसी भी खसरा नंबर पर कब्जा नही था न राजस्व अभिलेख में उसका कहीं नाम दर्ज था। इस प्रकार संपूर्ण पट्टा ही गलत प्रकार से जारी करवाया गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि आज्ञा जेरे अपील कतई गलत खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है तथा आज्ञा जेरे अपील पारित करने से पूर्व न तो मौके की जांच की गई न ही कब्जेधारी अपीलांट को तलब करके सुनवाई का कोई अवसर दिया न ही कोई उजदारी तलब की गई न कोई आम सूचना जारी की गई तथा कुल कार्यवाही नियम व प्रक्रिया के विरूद्ध आनन फानन में नियम व कानून को ताक पर रखकर बाला—बाला इकतरफा में की गई है। आज्ञा जेरे अपील में यह भी दर्ज किया गया है कि पट्टे में दर्ज आराजी दीगर गैरखातेदारान के नाम अंकित है। इसके बावजूद उजदारी नही ली गई न नामजद गैरखातेदारों को तलब किया गया तथा दिनांक 18.03.1989 को पत्रावली को आदेश हेतु प्रेषित किया गया और उसी दिन दिनांक 18.03.1989 को पट्टा भी जारी कर दिया गया।इस प्रकार एक ही दिन में उक्त कार्यवाही आनन फानन में की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आज्ञा जेरे अपील नियम व प्रकिया के विरूद्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पारित की गई है जो कि खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित आराजी से रेस्पाडेंटस का कोई लेना–देना किसी प्रकार का नहीं है न उनका व उनके पति व पिता मुंशी का कभी विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त रहा है। बल्कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा आज्ञा जेरे अपील जारी करने के दिन व इससे पूर्व व इसके बाद भी बदस्तूर चला आ रहा है। रेस्पाडेंट संख्या 2 लगा0 7 अब अपीलांट को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं और बारम्बार इस प्रकार की नाजायज कौशिश कर रह हैं व अपीलांट को शांति पूर्वक कार्य काश्तकारी नहीं करने दे रहे हैं तथा दिनांक 10.03.2011 को रेस्पाडेंट संख्या 2 लगा0 7 ने विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा करने का असफल प्रयास किया और जाहिर किया कि विवादित आराजी उनके नाम दर्ज है, इसलिए वो विवादित आराजी से अपीलांट को जबरन बेदखल करके कब्जा करेंगे और दीगर लोगों को मुन्तकिल मकफूल करेंगे। जबकि रेस्पाडेंट संख्या 2 लगा0 7 को ऐसा करने का कानूनन कोई हक हांसिल नही है। दिनांक 14.03.2011 को रेस्पाडेंट संख्या 2 लगा0 7 ने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने का पुनः प्रयास किया और धमकी दी कि वो विवादित आराजी को दीगर लठैत बदमाश लोगों को बेच देंगे और जबरन कब्जा करवा देंगे। जबकि रेस्पाडेंट को ऐसा करने का कानूनन कोई हक हांसिल नहीं है। यदि रेस्पाडेंट संख्या 2 लगा0 7 ने विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया व अपीलांट को बेदखल कर दिया तथा दीगर लोगों को गलत इन्द्राज की आड में विवादित आराजी को रहन बय हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल कर दिया तो मिन अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य बजूहात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जायेंगें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा आज्ञा जेरे अपील श्रीमान् तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, रामगढ़ दिनांक 18.03.1989 को अपास्त फरमाया जावें। अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पेज 111 (ए), आर.आर.डी. 1984 पेज 45 (डी) तथा वास्ते लिमिटेशन आर.आर.डी. 1991 पेज 218, आर. आर.डी. 1989 पेज 45, आर.आर.टी. 2018 (1)(एस.सी.) पेज 601 पेश किये है।

वकील रेस्पॉडेन्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मौके पर हमारा कब्जा है आवंटी द्वारा आराजी की कीमत जमा कराकर पट्टा जारी करवाया है। पुराने रिकॉर्ड में साबिक खसरा नं0 174 जो 6 बीघा 19 बिस्वा का है। उसमें से हमें 1 बीघा का पट्टा मिला है। अपीलान्ट के अधिकार किसी अन्य आराजी पर होगें गिरदावरी मे हमारा कब्जा सम्वत् 2012 से ही है। जिसमे 1 बीघा पर हमारी काश्त दिखाई गई है। 2012 से लगातार हमारा कब्जा चला आ रहा है। 58 बीघा जमीन के पट्टे जारी किये गये थे। जिसमें दोनो पक्षकारों के बीच पट्टे जारी हुए थे। अपीलान्ट द्वारा महज परेशान करने की नियत से अपील पेश की गई है, जो काबिले खारीज है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। रैस्पो0 वकील द्वारा अपने जवाब के समर्थन में आर.आर.डी. 2012 पेज 37 पेश किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील ओदश दिनांक 18.03.1989 के विरूद्व दिनांक 21.03.2011 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब 22 वर्ष विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित आराजी अपीलान्ट की गैर खातेदारी कस्टोडियन आराजी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट गैर खातेदार कस्टोडियन होते हुए भी अपीलान्ट को सुना नहीं गया। मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2043 में अपीलान्ट गैर खातेदार कस्टोडियन दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें नोटशीट दिनांक 27.02. 1989 मे संबंधित लिपीक द्वारा लिखा गया है कि 10 पट्टो को 58 बीघा भूमि बंजड आवंटन हुआ था, जिसमें 1/10 हिस्सा आंवटी का है। जबकि संबंधित द्वारा अपनी नोटशीट में यह अंकित नहीं किया गया कि किसी तरफ की कोनसी आराजी पर आवंटी का कब्जा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः तहसीलदार तथा मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ के आदेश संख्या 2659 दिनांक 18.03.1989 ग्राम बहरीपुर, तहसील रामगढ़ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त संबंध में जॉच करें यदि प्रकरण विधिसम्मत पाया जाता है तो अपीलान्ट से नियमानुसार फीस व शास्ती जमा करवाकर आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार करावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)